न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर,पीलीभीत।

मूल वाद संख्या 24/2019

जगदीश प्रसाद ––बनाम–– सुभाष चन्द्र आदि।

दिनांक 16.01.2020

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत। विगत तिथि पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग पर एक पक्षीय रूप से सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग में संक्षिप्तः कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 348 रक्वा 1.66 डि0 स्थित ग्राम चौसर पडिया, परगना व तहसील बीसलपुर, पीलीभीत में स्थित है, जिसके श्रेणी 2क के आंकिक कावश्तकार तुलाराम थे, जो कि वादी के सगे पिता थे, जिनका नाम सी0एच0–45 के खाता संख्या 266 पर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि वादी की पैतृक भूमि है, जिस पर वादी का लगातार कब्जा है तथा वादी के पिता अपने जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि का बैनामा 0.081हे0 का वादी के पक्ष में करवा दिया था। वादी के गांव के लालाराम पुत्र चिरौजी लाल जो कि तहसील बीसलपुर में रजिस्ट्रार कानूनगो ने अपने जीवनकाल में वादी के पिता के साथ धोखाधडी करके प्रश्नगत भूमि को फसली वर्ष 1400–1405 में श्रेणी–2 में अपनी पत्नी सोहनकली का नाम दर्ज करवाकर वर्ष 1997 में एस0डी0ओ0 बीसलपुर को गुमराह करके अपनी पत्नी सोहनकली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित करवाया जो कि फसली वर्ष 1400–1405 के खाता संख्या 02 पर अंकित है तथा सोहनकली की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि उसके दत्तक पुत्र सुभाषचन्द्र के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई और लालाराम की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र सुभाषचन्द्र ने वादी की उक्त भूमि को बेचने हेतु प्रयासरत है और जब वादी ने उक्त भूमि को बेचने से रोकने को कहा तो उसने मना कर दिया और आमादा फसाद होकर धमकी दी कि यदि हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रश्नगत भूमि को लेकर की तो इसका अंजाम अच्छा नही होगा। यदि प्रतिवादी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई धन से सम्भव न होगी। अतः प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा दौरान वाद प्रश्नगत भूमि पर वादी के शान्तिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेप करने, उसे विक्रय करनें व खुर्द–बुर्द करने से निषेधित कर दिया जाये।

प्रतिवादी पर पर्याप्त तामीला के पश्चात् भी उसकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। प्रतिवादी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की जा चुकी है।

वादी की ओर से सूची 8ग/1 से जोत चकबन्दी आकार पत्र कागज संख्या 8ग/2, खसरा कागज संख्या 8ग/3 व उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1424–1429 कागज संख्या 9ग/4 प्रस्तुत किये गये है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने हेतु निम्न तीन बिन्दुओं को साबित करना होगा–

1– प्रथम दृष्टया मामला.

2– सुविधा का सन्तुलन. व

3– अपूर्णीय क्षति,

इसके साथ साथ वादीगण को साम्यता का तत्व भी दर्शित करना होता है।

जहॉ तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है तो वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 348 रक्वा 1.66 डि0 स्थित ग्राम चौसर पडिया, परगना व तहसील बीसलपुर, पीलीभीत में स्थित है, जिसके श्रेणी 2क के आंकिक कावश्तकार तुलाराम थे, जो कि वादी के सगे पिता थे, जिनका नाम सी0एच0–45 के खाता संख्या 266 पर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि वादी की पैतृक भूमि है, जिस पर वादी का लगातार

कब्जा है तथा वादी के पिता अपने जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि का बैनामा 0.081हे0 का वादी के पक्ष में करवा दिया था। प्रतिवादी के पिता ने धोखाधडी करके प्रश्नगत भूमि पर अपनी पत्नी सोहनकली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित करवा दिया है तथा सोहनकली की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि उनके दत्तक पुत्र सुभाषचन्द्र(प्रतिवादी) के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई।

वादी की ओर से प्रस्तुत खतौनी फसली वर्ष 1406–1411 कागज संख्या 8ग/3 व खतौनी फसली वर्ष 1424–1429 कागज संख्या 8ग/4 के अवलोकन से विदि्त है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी की माता का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वर्तमान में प्रतिवादी का नाम प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में अंकित है। वादी ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके पिता ने अपने जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि का बैनामा उसके पक्ष में करा दिया था, परन्तु वादी द्वारा उक्त बैनामें को पत्रावली पर शामिल नही किया गया है। अवलोकनीय है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त नाम प्रतिवादी के पिता द्वारा धोखाधडी से दर्ज करवाया गया था अथवा नही, इस प्रश्न का निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकता है। वास्तव में प्रश्नगत भूमि का स्वामी कौन है, यह साक्ष्य का प्रश्न है। अतः साक्ष्य से पूर्व इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में नही है।

जहॉ तक सुविधा के सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है तो चूॅकि प्रथम दृष्टया वाद वादीगण के पक्ष में नही है। अतः इस स्तर पर सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी वादी के पक्ष में नही है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग एक पक्षीय रूप से निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय साक्ष्य वादी दिनांक 28.02.2020 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर,पीलीभीत।

दिनांकः16.01.2020